



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी व अपराधिक कृत करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/ रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 88/2017 धारा-376(घ) भा0द0सं0 व 06 पॉक्सो एक्ट व 354बी भा0द0सं0 व 08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.सुनील पुत्र जयचन्द्र उर्फ कुन्द्री निवासी ग्राम बेरी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को धारा-354बी भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
उ0नि0 सुरजीत
कुमार



पैरोकार
थाना- कुरारा
का0 संजीत कुमार